फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सुमन देवी II, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राजवन्ती बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल आर एक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128 पत्थरगढी)

मुकदमा नं० 19 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2025	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में बहस सुनी गयी दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थी की तामिल हेतु जारी नोटिस तामील होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की बार बार आवाज लगवाई गयी । आवाज पर ना तो स्वयं हाजिर आये और ना ही इनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये। अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भुमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड राजस्व ग्राम लाडून्दा के खसरा नम्बर 427 रकबा 1.26 है0 किस्म बा.–1 भुमि है। अतः प्रार्थी व पडोसी खातेदारान एवं सह खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम भुमि लाडून्दा के खसरा नम्बर 427 रकबा 1.26 है0 किस्म बा.–1 भुमि के प्रार्थी व सहखातेदार व पडौसी खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 पत्थरगढी की जावे । दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की	

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

कार्यवाही नही की जावे। तहसीलदार पिलानी को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़